# कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), लखनऊ

पत्रांकः– डायट/बी0टी0सी0–2014 /1547–50 /2015–16 दिनांक 15/सितम्बर/15

## द्वितीय काउन्सिलिंग हेतु विज्ञप्ति

बी0टी0सी0 प्रशिक्षण–2014 ऑनलाइन आवेदन पत्रो की जॉच (काउन्सिलिंग) के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या– 824/15–11–2015–2067/2013 दिनांक 07.07.2015 के अनुपालन में प्रथम काउन्सिलिंग हेतु सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 इलाहाबाद के दिशा निर्देश सम्बन्धी विज्ञप्ति दिनांक 08.09.2015 के अनुसार डायट के पत्रांक/1491/2015–16 दिनांक 08.09.2015 द्वारा प्रकाशित करायी गयी थी, अग्रेत्तर मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका सं0 174/2015 में बाबा शिवनाथ सिंह शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाम एन0सी0टी0ई0 व अन्य के साथ सम्बद्ध 10 अन्य याचिकाओ में पारित आदेश दिनांक 08.09.15 के अनुपालन में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 इलाहाबाद की विज्ञप्ति दिनांक 14.09.2015 एवं पत्रांकः गोप0/ बी0टी0सी0–2014/11190–259/2015–16 दिनांक 15.09.2015 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अर्न्तगत पूर्व प्रेषित प्रदेश स्तरीय आवेदक सूची में से जनपद के डायट एवं निजी संस्थानो की वर्गवार/श्रेणीवार कुल सीटो के सापेक्ष्य प्रदेश स्तर पर मेरिट के अवरोही क्रमानुसार 30–30 गुना एवं विशेष आरक्षण श्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु 50–50 गुना अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग हेतु एतद्द्वारा निम्नवत कटऑफ जारी करते हुए द्वितीय काउन्सिलिंग की समय सारिणी निम्नवत है–

**कट ऑफ**

| श्रेणी | महिला | | पुरूष | | विशेष आरक्षण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कला | विज्ञान | कला | विज्ञान | | महिला | पुरूष |
| सामान्य | 209.50 | 210.50 | 199.34 | 211.79 | विकलांग दृष्टिबाधित (5) | 189.79 | 188.59 |
| अनुसूचित जाति | 195.30 | 188.00 | 185.49 | 192.76 | विकलांग श्रवणहास (6) | 185.20 | 184.83 |
| अनुसूचित जनजाति | 190.05 | 149.73 | 180.03 | 160.37 | विकलांग चलन क्रिया (7) | 193.08 | 195.87 |
| अन्य पिछडा वर्ग | 204.94 | 202.32 | 193.44 | 204.30 | स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (8) | 172.69 | 164.99 |
| | | | | | भूतपूर्व सैनिक (9) | 140.62 | 120.44 |

**समय – सारिणी**

| क्रम सं0 | दिनॉक | वर्ग/श्रेणी |
|---|---|---|
| 01 | 17.09.15 एवं 18.09.15 | पुरूष विज्ञान एवं पुरूष कला के समस्त विशेष आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी |
| 02 | 19.09.15 एवं 20.09.15 | महिला विज्ञान एवं महिला कला के समस्त विशेष आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी |
| 03 | 17.09.2015 | समस्त पुरूष विज्ञान |
| 04 | 18.09.2015 | समस्त पुरूष कला |
| 05 | 19.09.2015 | समस्त महिला कला |
| 06 | 20.09.2015 | समस्त महिला विज्ञान |

- उक्त कट ऑफ तक आने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित सूची/कट ऑफ मेरिट डायट लखनऊ की वेबसाइट **dietlucknow.org** तथा जनपद लखनऊ की वेबसाइट **www.lucknow.nic.in** पर भी देख सकते है।
- उक्त कट ऑफ मेरिट के अर्न्तगत अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल अभिलेख–प्रत्येक वर्ष के मूल शैक्षिक अंकपत्र, मूल प्रमाण पत्र/उपाधि/सनद अथवा प्रोविजनल सार्टिफिकेट, आरक्षण के संगत जाति प्रमाण पत्र (पिता के नाम से), विशेष आरक्षित श्रेणी प्रमाण पत्र (निर्धारित सक्षम प्राधिकारी से निर्गमित),, निवास प्रमाण पत्र एवं उल्लेखित पहचान पत्र प्रस्तुत करना है।
- अभ्यर्थी अपना आनलाइन बी0टी0सी0–2014 रजिस्ट्रेशन फार्म, ई–चालान, ई–आवेदन पत्र यदि कोई संशोधन किया हो सम्बन्धित संशोधन का प्रिंट तथा सभी उल्लेखित मूल अभिलेख एवं आनलाइन आवेदन सम्बंधी दस्तावेजों के दो–दो सेट स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति, पासपोर्ट साइज के चार फोटो ग्राफ एवं दस रूपये के स्टाम्प पेपर पर डायट वेबसाइट पर उल्लेखित प्रारूप पर शपथ पत्र (मूल रूप में), दो फाइल कवर में अलग–अलग दो सेट टैग कर काउन्सिलिंग हेतु नियत समय पर उपस्थित हो।

**नोटः–**

उक्त कट ऑफ मेरिट के अर्न्तगत सम्मिलित अभ्यर्थियों को जॉच हेतु उपस्थित होने की सूचना समाचार पत्र तथा संस्थान की वेबसाइट **www.dietlucknow.org** के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से नहीं दी जायेगी। **निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने की स्थिति में पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।** 2. अभ्यर्थियों की औपबन्धिक मेरिट सूची सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की वेबसाइट – **http//www.examregulatoryauthorityup.in** पर भी उपलब्ध है। **3.** अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन आवेदन में की गयी प्रविष्टियों ही मान्य होगी, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थियों को मूल अभिलेख जॉच के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। **4.** यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को संस्थान में काउन्सलिंग हेतु स्वयं उपस्थित नहीं होते है, तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नहीं किया जायेगा और इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होगें तथा उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त मानते हुए वरीयता क्रम में अगले अर्ह अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार किया जायेगा तथा भविष्य में उनके किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा। **5.** जारी की गयी विज्ञप्ति/सूची मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों, विभागीय निर्देशो एवं किसी भी लिपिकीय त्रुटि से संधान के अधीन होगी। **6.** काउन्सलिंग के उपरान्त चयन की सूची जारी की जायेगी और प्रवेश की कार्यवाही निर्गत मेरिट सूची के आधार पर की जायेगी। **7.** काउन्सलिंग की यह प्रक्रिया प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं है।

प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
लखनऊ।

पृ0सं0ःडायट/बी0टी0सी0प्रशि0–2014/1547–50/2014–15, दिनांक 15.09.2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित –

1. डी0 आई0ओ0, जनपद एन0आइ0सी0 / प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0 कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति एन0आई0सी0 लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. मुख्य सम्पादक दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि **उक्त विज्ञप्ति दिनॉकः 16 सितम्बर, 2015 को प्रकाशित होने वाले यूपी एडिशन में सःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें,** और विज्ञप्ति की एक प्रति, बिल की दो प्रतियों के साथ अधोहस्ताक्षरी को भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
लखनऊ.

E:\Very Important\BTC 2011\WORLD FILES 2011\press note.doc